अनुसन्धान मुख्यांश

अनुसन्धान मुख्यांश

जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग (बी.सी.सी.) वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन संबन्धित नीति विषयों पर कार्य कर रहा है जिससे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रुप रेखा समझौता (यूएनएफसीसीसी) के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हुए है। जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, ने जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई लघु तथा दीर्घ–अवधि नीति कार्यक्रमों की भी शुरूआत की है। प्रभाग वन अधिकारियों तथा हितधारकों के लिए जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ विकास प्रक्रिया (सी.डी.एम.) और वानिकी पर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करके क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय रुप से जुटा है।

अनुसन्धान निदेशालय का अनुसन्धान योजना प्रभाग, देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित भा.वा.अ.शि.प. के 8 संस्थानों तथा चार अनुसन्धान केन्द्रों की अनुसन्धान योजना निधीयित वानिकी परियोजनाओं का आयोजन, सूत्रीकरण और उन्हें अन्तिम रुप देने का काम करता है। अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, संभागीय तथा राज्य अनुसन्धान आवश्यकताओं के मध्य संतुलन तथा नीचे तक पारदर्शी तथा सहभागी एप्रोच के साथ उच्च गुणवत्ता वानिकी अनुसन्धान में निवेश को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया में हितधारकों की बैठक, प्रत्येक संस्थान में अनुसन्धान सलाहकार समूह (आर.ए.जी.) तथा भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय में राष्ट्रीय स्तरीय अनुसन्धान योजना बैठक (आर.पी.सी.) सम्मिलित है। यह पंचवर्षीय रोलिंग प्लान के तहत जारी परियोजनाओं का पुनरीक्षण भी करता है।

हाल ही में चार अनुसन्धान शोध क्षेत्र तथा पैंतीस विषय भा.वा.अ.शि.प. अनुसन्धान के लिए अभिज्ञात किये गये है। दो शोध क्षेत्र, एक वानिकी विस्तार तथा एक वानिकी शिक्षा के लिए भी अभिज्ञात किये है। ये है:–

शोध क्षेत्र	विषय
अ. अनुसन्धान	
1. आजीविका सहायता तथा आर्थिक वृद्धि के लिए वन तथा वन उत्पादों का प्रबन्धन 2. जैवविविधता संरक्षण तथा पारिस्थितकीय सुरक्षा 3. वन तथा जलवायु परिवर्तन 4. वन आनुवंशिक संसाधन प्रबन्धन तथा वृक्ष सुधार	1. वन संवर्धन 2. सामाजिक वानिकी, कृषिवानिकी/फार्म वानिकी 3. धारणीय वन प्रबन्धन (एस.एफ.एम) 4. वन अर्थशास्त्र 5. वन जैवमैट्रिकस तथा ऊपज मॉडलिंग 6. सहभागी वन प्रबन्धन 7. काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 8. वन उत्पादों का रसायन 9. काष्ठ आधारित उद्योग 10. अकाष्ठ वन उपज संसाधन विकास 11. बायो–प्रौसपैक्टिंग तथा बायोपायरेसी 12. बीज विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी 13. वन प्रमाणीकरण 14. वन जल विज्ञान 15. खाद्य सुरक्षा 16. जैव ईंधन तथा जैव ऊर्जा 17. समेकित कीट तथा रोग प्रबन्धन 18. वानिकी में सूक्ष्म जीवाणुओं का अनुप्रयोग 19. खरपतवार तथा आक्रामक प्रजातियां 20. वन आग तथा चराई 21. जैव–सूचना तथा भू–सूचना

	22. नीति तथा वैधानिक मामलें 23. जैवविविधता संरक्षण 24. वन वनस्पति विज्ञान 25. संजातीय तथा परम्परागत ज्ञान तंत्र 26. वन मृदा एवं भूमि उद्धार 27. आद्र भूमि एवं समुद्री पारिस्थितिकी 28. जलागम प्रबन्धन 29. जलवायु परिवर्तन एवं वन 30. वन पारिस्थितिकी 31. वन आनुवंशिकी संसाधन संरक्षण 32. वृक्ष सुधार 33. वानस्पतिक प्रवर्धन 34. जैव प्रौद्योगिकी 35. पर्यावरण प्रबन्धन
ब. वानिकी शिक्षा	
उभरती हुई चुनौतियां का सामना करने हेतु वानिकी शिक्षा तथा योजना अनुसन्धान	1. औपचारिक वानिकी शिक्षा सुधार के लिए विस्तार तथा तकनीकी सहयोग 2. प्रत्यायन के द्वारा वानिकी शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन 3. अनुसन्धान तथा विस्तार सहित वानिकी शिक्षा की नेटवर्किंग 4. वानिकी में वैज्ञानिक तथा प्रबन्धन कार्डर का क्षमता निर्माण
स. वानिकी विस्तार	
आम जन तक अनुसन्धान को ले जाने लिए वानिकी विस्तार	1. वानिकी सम्बन्धित प्रतिवेदनों, सांख्यिकी, आवधिक, पुस्तकों तथा ब्रोशरों का एकत्रीकरण, संकलन तथा प्रकाशन 2. विभिन्न हितधारकों तक विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रसार 3. वानिकी अनुसन्धान में वृहद विस्तार रणनितियों को बनाना तथा समन्वयन करना 4. पर्यावरण प्रबन्धन से सम्बंधित परामर्शी सेवाएं

संस्थानवार उत्कृष्टता के विशेषज्ञता/प्राथमिकता के क्षेत्र दिये गये है जो कि निम्न है:-

संस्थान	विशेषज्ञता/प्राथमिकता क्षेत्र
1. वन अनुसन्धान संस्थान (व.अ.सं.), देहरादून	• आजीविका सहायता तथा आर्थिक वृद्धि के लिए वन तथा वन उत्पादों का प्रबन्धन • जैवविविधता संरक्षण तथा पारिस्थितिक सुरक्षा • जलवायु परिवर्तन निम्नीकरण तथा अनुकूलन के लिए वानिकी हस्तक्षेप • वन आनुवंशिक स्रोतों का प्रबन्धन तथा सुधार

2. काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (का.वि.प्रौ.सं.), बंगलौर	• आजीविका सहायता तथा आर्थिक वृद्धि के लिए वन तथा वन उत्पादों का प्रबन्धन
3. वर्षा वन अनुसन्धान संस्थान (व.व.अ.सं.), जोरहाट	• जैव विविधता संरक्षण तथा पारिस्थितिक सुरक्षा
4. वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान (व.आ.वृ.प्र.सं.), कोयम्बटूर	• वन आनुवंशिक संसाधनों स्रोतों का प्रबन्धन तथा सुधार
5. हिमालयन वन अनुसन्धान संस्थान (हि.व.अ.सं.), शिमला	• हिमालयन पारितंत्र प्रबन्धन
6. शुष्क वन अनुसन्धान संस्थान (शु.व.अ.सं.), जोधपुर	• शुष्क तथा अर्ध शुष्क वन प्रबन्धन विशेषकर, पश्चिमी भारत में
7. उष्णकटिबंधीय वन अनुसन्धान संस्थान (उ.व.अ.स.), जबलपुर	• मध्य भारत में उष्णकटिबंधीय वानिकी
8. वन उत्पादकता संस्थान (व.उ.सं.), रांची	• बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम सहित भारत के पूर्वी भागों में उपजाऊ मैदानों में वानिकी

हितधारकों की बैठक: अनुसन्धान सूचना के अर्थपूर्ण तथा नियमित आदान प्रदान तथा परियोजना कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक राज्य वन विभाग मुख्यालय में हितधारकों की बैठक के लिए संस्थानों के साथ समन्वयन।

निम्नवर्णित तिथियों पर संस्थान स्तर पर आठ भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् संस्थानों में से प्रत्येक की **अनुसन्धान सलाहकार समूह** की बैठकें (आरएजी) आयोजित की गई।

संस्थान का नाम	आर.ए.जी. की तिथियां
वन उत्पादकता संस्थान, रांची	19 और 20 सितम्बर 2011
वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	3 और 4 अक्टूबर 2011
उष्णकटिबंधीय वन अनुसन्धान संस्थान, जबलपुर	12 और 13 अक्टूबर 2011
वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून	20 और 21 अक्टूबर 2011
वर्षा वन अनुसन्धान संस्थान, जोरहाट	8 और 9 नवम्बर 2011
शुष्क वन अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर	3 और 4 नवम्बर 2011
काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर	8 नवम्बर 2011
हिमालयन वन अनुसन्धान संस्थान, शिमला	17 और 18 नवम्बर 2011

अनुसन्धान योजना समिति बैठक (आर.पी.सी.)

श्री ए. के. बंसल, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. की अध्यक्षता में 8 और 9 अप्रैल 2011 को वन विज्ञान भवन नई दिल्ली में XII अनुसन्धान योजना समिति (आर.पी.सी.) बैठक आयोजित की गई। ₹ 2349.3 लाख के बजट सहित 157 नई परियोजनाएं XII अनुसन्धान योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। ₹ 1602.18 लाख के बजट सहित 118 नई परियाजनाएं अनुसन्धान योजना समिति द्वारा अनुमोदित की गई। हालांकि आर्थिक बाधाओं के कारण इन परियाजनाओं को पुन: देखा तथा इन पर विचार किया गया। पुन: विचार करने के पश्चात् ₹ 1198.00 लाख अनुमोदित किये गये।

शोध क्षेत्रवार 98 अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है।

शोध क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या
आजीविका सहायता तथा आर्थिक वृद्धि के लिए वन तथा वन उत्पादों का प्रबन्धन	55
जैवविविधता संरक्षण तथा पारिस्थितिकीय सुरक्षा	18
वन तथा जलवायु परिवर्तन	1
वन आनुवंशिक संसाधन प्रबन्धन तथा वृक्ष सुधार	24
कुल	**98**

XIII अनुसन्धान योजना समिति की बैठक 14 से 16 फरवरी 2012 को डॉ. वी. के. बहुगुणा, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. की अध्यक्षता में भा.वा.अ.शि.प. मुख्यालय में आयोजित की गई। सभी प्रस्तावों को चार शोध क्षेत्रों में रखा गया। शोध क्षेत्रवार प्रस्तावित बजट सहित परियोजनाओं की संख्या निम्नलिखित है:

बजट सहित नई अनुसन्धान परियोजना प्रस्ताव का शोध क्षेत्रवार विवरण	
आजीविका सहायता तथा आर्थिक वृद्धि के लिए वन तथा वन उत्पादों का प्रबन्धन	₹ 674.3 लाख बजट के साथ 50 परियोजनाएं
जैवविविधता संरक्षण तथा पारिस्थितिकीय सुरक्षा	₹ 333.3 लाख बजट के साथ 24 परियोजनाएं
वन तथा जलवायु परिवर्तन	₹ 209.3 लाख बजट के साथ 7 परियोजनाएं
वन आनुवंशिक संसाधन प्रबन्धन तथा वृक्ष सुधार	₹ 842.9 लाख बजट के साथ 29 परियोजनाएं

सभी प्रस्तावों को पृथक्कृत किया गया तथा इन चारों क्षेत्रों में अखिल भारतीय समन्वित परियोजना/अन्तर संस्थागत/संजालीय परियोजनाओं के सविन्यास के लिए मिलाया गया। इन परियोजनाओं का अन्तिम अनुमोदन XIII आर.पी.सी. की अनुपालन बैठक जो कि विडियों कन्फ्रेंसिंग द्वारा की जायेगी, में किया जायेगा।

निदेशकों की बैठक: महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प., देहरादून की अध्यक्षता में 28 जून 2011 को परिषद् मुख्यालय में निदेशकों की छठीं बैठक का आयोजन किया गया। निदेशकों की बैठक का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया, जिसके लिए कार्य सूची को अंतिम रूप संस्थानों के निदेशकों के साथ परामर्श करके विभिन्न निदेशालयों द्वारा दिया गया।

अनुसंधान निदेशालय के अधीन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रभाग: भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों की सभी जारी अनुसन्धान परियोजनाओं की वार्षिक समीक्षा तथा मूल्यांकन करता है। यह उद्देश्यों को समय से पूरा करने तथा सम्पूर्णता से प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाता है। जून से अक्टूबर 2011 के दौरान सभी भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों की 426 (337 भा.वा.अ.शि.प. निधियीत तथा 89 बाह्य सहायता प्राप्त) जारी तथा पूर्ण अनुसन्धान परियोजनाओं की वार्षिक समीक्षा की गई। उपर्युक्त के अतिरिक्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं/एजेन्सी द्वारा (पूर्ण/जारी) 17 अनुसन्धान परियोजनाओं की स्वतंत्र समीक्षा की गई।

सभी जारी अनुसन्धान परियोजनाओं की समीक्षा की गई तथा परियोजना के उद्देश्यों को समय से पूरा करने के लिए भौतिक तथा आर्थिक प्राप्तियों को शीघ्रता से निपटाने हेतु सुधारात्मक उपाय सुझाए गए। वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन के विषय में भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों के सभी निदेशकों को नवम्बर

2011 तक बता दिया गया है, जिससे प्रतिवेदन में किये गये प्रेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

2010–11 के दौरान, 33 बाह्य सहायता प्राप्त तथा 83 भा.वा.अ.शि.प. निधियीत परियोजनाएं पूर्ण की गई। 2011–12 के दौरान कुल 98 भा.वा.अ.शि.प. योजना निधियीत परियोजनाएं प्रारम्भ की गई। 2011–12 के दौरान भा.वा.अ.शि.प. की जारी अनुसन्धान परियोजनाएं 409 है जिसमें भा.वा.अ.शि.प. योजना निधियीत परियोजनाएं 352 तथा बाह्य सहायता प्राप्त 57 है।

वार्षिक समीक्षा के अनुसार 2011–12 के लिए भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों के लिए पुर्नरीक्षित अनुसन्धान परियोजनाओं का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

2011–12 के दौरान संस्थानवार पुनरीक्षित जारी अनुसन्धान परियोजनाएं

			समीक्षित जारी पूर्ण परियोजनाओं की संख्या		
क्रम संख्या	संस्थान के नाम	समीक्षा की तिथि	भा.वा.अ.शि.प. निधियीत	बाह्य सहायता प्राप्त	कुल
1.	शुष्क वन अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर	5 और 6 सितम्बर 2011	24	10	34
2.	वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून तथा सीएसएफ तथा ईआर, इलाहाबाद	12 से 18 जुलाई 2011	104	22	126
3.	हिमालयन वन अनुसन्धान संस्थान, शिमला	21 और 22 जून 2011	17	7	24
4.	वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	25 और 26 जुलाई 2011	62	14	76
5.	वन उत्पादकता संस्थान, रांची	23 अगस्त 2011	23	2	25
6.	काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर तथा एफआरसी, हैदराबाद	27 से 29 जुलाई 2011	48	13	61
7.	वर्षा वन अनुसन्धान संस्थान, जोरहाट	10 से 13 अक्टूबर 2011	34	5	39
8.	उष्णकटिबंधीय वन अनुसन्धान संस्थान, जबलपुर तथा सी.एफ.एच.आर.डी., छिंदवाडा	8 और 9 सितम्बर 2011	25	16	41
		कुल	**337**	**89**	**426**

सितम्बर 2011 को समाप्त हो रही अवधि के लिए निदेशकों से एकल परियोजनओं की अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन को अनुरुपता के लिए अनुमोदित कार्य योजना के साथ जांचा गया तथा उद्देश्यों को समय से प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाए गए।

परियोजना सूत्रीकरण प्रभाग पहचाने गए प्रमुखता वाले भा.वा.अ.शि.प. के क्षेत्रों में अनुसन्धान परियोजनाओं के सूत्रीकरण तथा विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों द्वारा उनके निधियन के लिए भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों/केन्द्रों तथा क्षमतावान दाता एजेंसियों के बीच सहायक के रूप में काम करता है। यह एम.ओ.यू., पर हस्ताक्षर करने, परामर्शी सेवाओं के सम्बन्ध में भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों तथा अन्य संस्थाओं/मंत्रालयों के साथ समन्वयन करता है। इसके अतिरिक्त बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के आंकड़ा आधार का रख रखाव करता है। प्रभाग अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से सम्बन्धित मामलों को भी देखता है। प्रभाग को अब एक विस्तृत अध्यादेश के साथ नीति संजाल तथा स्थानीय शासन पर अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए नीति संजाल तथा स्थानीय शासन के नाम से पुनर्निर्मित किया गया है।

उपलब्धियों का सारांश

1) परियोजना निधियन के लिए कई राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों के साथ समन्वित परियोजनाएं प्रारम्भ की गई है। ₹ 1153.64 लाख की संस्वीकृत राशि के साथ कुल 57 बाह्य सहायता प्राप्त जारी अनुसन्धान परियोजनाएं है। ₹ 83.13 लाख की संस्वीकृत राशि के साथ 57 बाहय सहायता प्राप्त परियोजनाओं में से 4 परियोजनाएं अन्तर्राष्ट्रीय निधियन प्राप्त है। ₹ 597.46 लाख की राशि के साथ 33 बाहय परियोजनाएं इस वर्ष पूर्ण की गई है। इंटरनेशनल फाउन्डेशन फार साइन्स (आई.एफ.एस.) स्वीडन:., ऑस्ट्रेलियन एजेंसी फार इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट, आस्ट्रेलियन एण्ड डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी इन्डस्ट्री एण्ड फिशरीज, आस्ट्रेलिया सहित अनुसन्धान के लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय निधियन एजेंसियां अनुसंधान के लिए भा.वा.अ.शि.प. को निधियन सहायता उपलब्ध करवा रही है।

2) सहयोगात्मक परियोजनाओं/कार्यक्रमों को करने के लिए अनुसन्धान संस्थानों तथा उद्योगों सहित विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों के मध्य 9 एम.ओ.यू. तथा अनुबंध हस्ताक्षरित किये गये है। प्रभाग भा.वा.अ.शि.प. में सभी बाहय सहायता प्राप्त परियोजनाओं/कार्यक्रमों की अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रगति की समीक्षा भी करता है तथा उनकी स्थिति प्रतिवेदन भी एकत्रित करता है।

3) अन्तर्राष्ट्रीय पॉपलर कमीशन (आई.पी.सी.): भारत के लोगों की आजीविका तथा अर्थव्यवस्था में पॉपलर तथा विलो के महत्वपूर्ण स्थान तथा भा.वा.अ.शि.प. द्वारा किये गये उत्कृष्ठ कार्य को पहचान देने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय पॉपलर कमीशन खाद्य एवं कृषि संगठन की एक तकनीकी संवैधिक निकाय ने आई.पी.सी. के 24वें सत्र तथा कार्यकारी समिति की 46वीं बैठक कों अक्टूबर में देहरादून में करने के लिए सहमति दी है। ऐसा प्रथम बार है कि आई.पी.सी. का ऐसा प्रतिष्ठित कार्यक्रम भारत में होगा।

4) बिहार में समुदाय आधारित समेकित वन प्रबन्धन परियोजना (समुदाय आधारित समन्वित वन प्रबन्धन एवं संरक्षण योजना (एस.ए.एस.वी.पी.ई.एस.वाई./बिहार परियोजना): योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निधियीत यह परियोजना 2006 में प्रारम्भ की गई थी तथा भा.वा.अ.शि.प., देहरादून में कार्यन्वित की गई। वास्तविक भौतिक गतिविधियां जनवरी 2007 में बिहार के वैशाली जिले में भूमिहीन मजदूरों, छोटे, अत्यल्प तथा बडे किसानों सहित कृषि समुदाय के प्रत्येक अनुभाग की भलाई पर केन्द्रण के साथ पौधशाला अंकुरों को उगाने, उखाडने, स्थानांतरित करने तथा फार्म भूमि में रोपण में उन्हें सम्मिलित करते हुए प्रारम्भ की गई। परियोजना दो भागों में पूरी की जायेगी। फेज –I में वैशाली जिले को लिया गया है तथा फेज II में उत्तरी बिहार के शेष जिलें लिए गये है। कृषि वानिकी घटकों के लिए भा.वा.अ.शि.प. द्वारा कार्यान्वित कुल खर्च 1894.76 लाख है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रारम्भ की गई मुख्य गतिविधियां है। (I) सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण (II) उपयुक्त पादप प्रजातियों का चयन तथा उनका प्रवर्धन (III) गुणवत्ता रोपण भण्डार को उगाना (IV) फार्म भूमि पर रोपण को सुविधाजनक बनाना (V) स्थल प्रदर्शन भूखण्डों की स्थापना (VI) प्रशिक्षण, विस्तार तथा गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना (VII) क्लोनीय बीज बागानों की स्थापना (VIII) वी.ए.एम. कवक की पहचान तथा टीकाकरण (IX) परामर्श दाताओं /विशेषज्ञों की नियुक्ति तथा (X) राष्ट्रीय सेमीनार तथा कार्यशाला करना।

2011–12 के दौरान 3.87 लाख ई टी पी किसानों के खेतों में रोपित किए गए जबकि 1.68 लाख ई.टी.पी. पौधशाला में उगाने के लिए उपयोग किए गए तथा विभिन्न वृक्ष प्रजातियों जैसे पॉपलर, टीक, सागौन, महुगनी, गामर, सेमल, कदम्ब, जामुन, बांस इत्यादि के कुल 7.12 लाख अंकुर/पादप मॉडल पौधशालाओं से किसानों को वितरित किए गए हैं। हालांकि, 6000 से अधिक किसानों को आजतक पॉपलर तथा अन्य वानिकी प्रजातियों पर आधारित पौधशाला पद्धतियों तथा कृषिवानिकी तंत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। एक यूरोपीयन यूनियन अंतरसंसदीय दल ने अप्रैल 2011 के दौरान ग्राम शीतल भाकुरार, लालगंज का दौरा किया तथा किसानों के साथ बातचीत की, जिन्होने अपने खेतों में पॉपलर उगाए।

2) नए प्रयास

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

- हिन्दुकुश– हिमालयन क्षेत्र के देशों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, विशेषकर रेड प्लस तथा अन्य जलवायु परिवर्तन मामलों में, डॉ. वी. के. बहुगुणा, महानिदेशक,

भा.वा.अ.शि.प. की अध्यक्षता में भा.वा.अ.शि.प. के एक दल ने इंटर नेशनल सेंटर फार इंटीग्रेटिंड मॉउनटेन डेवलपमेंट (आई सी एम ओ डी), नेपाल का दौरा किया जहां विभिन्न मामलों पर वृहद विचार–विमर्श किया गया। आई सी एम ओ डी तथा भा.वा.अ.शि.प. के मध्य एक एम ओ यू हस्ताक्षरित किया गया।

- यू के वानिकी कमीशन के सहयोग से यू.के. –भारत वन भू–पुनरूद्धार परियोजना 3 राज्यों यथा: ओडीसा, मध्य प्रदेश तथा उत्तराखण्ड में समुदाय तथा पारितंत्रों के बीच धारणीय संबंधों का निर्माण करने के लिए दीर्घ अवधि संरक्षण रणनीति उपलब्ध कराने में प्रभावी हुई है। परियोजना का फेज–I 2012–13 तक बढ़ा दिया गया है, जबकि फेज–II में परियोजना को भारत के अन्य राज्यों में विस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक छत्र परियोजना भी विकसित की गई है।
- डॉ. वी. के. बहुगुणा, महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. की अध्यक्षता में भा.वा.अ.शि.प. से एक पांच सदस्यीय दल ने नई सम्बद्धताओं के लिए 23 अप्रैल 2010 को चाइनीज अकादमी ऑफ फॉरेस्ट्री का दौरा किया। चाइनीज अकादमी ऑफ फॉरेस्ट्री से एक 6 सदस्यीय दल ने 19 दिसम्बर 2011 को वापस भारत का दौरा किया। भा.वा.अ.शि.प. तथा चाइनीज अकादमी ऑफ फॉरेस्ट्री के मध्य वानिकी अनुसन्धान के क्षेत्र में सहयोग के लिए अवसरों पर विचार–विमर्श किया गया। प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय प्रबंधन तथा आजीविका सहायता में एक संस्थागत तरीके से चीन के बांस प्रौद्योगिकी के सामर्थ्य तथा भारत के वृक्ष सुधार के सामर्थ्य को बांटा जाएगा।

जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) परियोजना

वन प्रबंधन, विशेषकर, जैवविविधता, आजीविका मामलों तथा वानिकी के वैज्ञानिक प्रबंधन, विशेषकर कार्बन, पृथक्करण, वनस्पति तथा पशु जैवविविधता संरक्षण तथा मृदा सुधार में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए वानिकी अनुसन्धान को स्थल वन कर्मचारियों तथा किसानों सहित विकसित प्रौद्योगिक तथा हितधारकों द्वारा उपकरणों का उपयोग करके अपनी सीमा को विस्तृत करना है। भा.वा.अ.शि.प. द्वारा विकसित एक वृहद अखिल भारतीय परियोजना 5 से 8 वर्ष के लिए 1800 करोड़ की राशि के निधीयन के लिए जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी को प्रस्तुत की गई है।

राष्ट्रीय स्तर

(अ) जिंजर ग्रुप/नौलेज पूल की रचना: वानिकी विज्ञान की उभरती हुई चुनौतियों से सम्बन्धित मामलों पर उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए भा.वा.अ.शि.प. वैज्ञानिकों के परामर्शी समूह तथा अन्य प्रख्यात अधिकारियों को हितधारकों/मांग जनित/आवश्यकता जनित परम्परागत विषयों के परे सोचने के लिए एक अनुसन्धान विषय की रचना ''नवपरिवर्तनकारी विचारों तथा सामान्य सोच से परे सोच'' प्राप्त करने के लिए की गई है।

(ब) राष्ट्रीय विषयवस्तु समन्वयक की नियुक्ति (एन.एस.एम.सी.): विभिन्न विषयवस्तुओं पर व्यवस्थित उपागम विकसित करने के लिए तथा स्थल विशिष्ट तथा विषय विशिष्ट अनुसन्धान कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए एन.एस.एम.सी. को नामांकित किया गया है। वे अभिज्ञात विषयों में अनुसन्धान विस्तार तथा विपणन क्रियाकलापों को समन्वित करते है। राष्ट्रीय विषयवस्तु विशेषज्ञों को 35 विषय क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है।

(स) राष्ट्रीय परियोजना निदेशकों (एन.पी.डी.) की नियुक्ति: शोध क्षेत्रों में अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं तथा प्रोग्राम मोड में अनुसन्धान को प्रारम्भ करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए 6 शोध क्षेत्रों में राष्ट्रीय परियोजना निदेशकों (एन.पी.डी.) की नियुक्ति की गई है। शोध क्षेत्र है: (I) आजीविका सहायता तथा आर्थिक वृद्धि के लिए वन तथा वन उत्पादों का प्रबन्धन, (II) जैवविविधता संरक्षण तथा पारिस्थितिक सुरक्षा, (III) वन तथा जलवायु परिवर्तन, (IV) वन आनुवंशिक संसाधन प्रबन्धन तथा वृक्ष सुधार, (V) उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए वानिकी शिक्षा तथा नीति अनुसन्धान तथा (VI) आम जनता तक अनुसन्धान ले जाने के लिए वानिकी विस्तार।

(ड) डायरेक्ट टू कन्जूमर योजना : अनुसन्धान वार्तालाप एक दोहरी प्रक्रिया है, वन अधिकारियों वन संरक्षण/विकास/वन

आधारित आजीविका के क्षेत्र में अनुसन्धान/वैज्ञानिक तथा प्रबन्धन पद्धतियों को जोड़ने की कड़ी होते है। जलवायु परिवर्तन, वन तथा जल सुरक्षा तथा जैवविविधता संरक्षण की उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए भा.वा.अ.शि.प. वैज्ञानिकों/ विशेषज्ञों के कार्यों को स्थल तक हस्तांतरित करने की आवश्यकता है। मौजूदा आवश्यकता अनुसन्धान खोजों को बाहर पहुँचाने के सामर्थ को बढ़ाना है जिससे अनुसन्धान का विस्तार अनुसन्धान के क्षेत्र में तुरन्त प्रभावी हो, अत: विकसित प्रौद्योगिकियों को उपभोक्ताओं को तुरन्त हस्तांतरित करने के लिए '**डायरेक्ट टू कन्जूमर**' योजना प्रारम्भ की गई है।

वैशाली में जनवरी 2008 में रोपित पॉपलर की वृद्धि

जादुआ स्थल-1, वैशाली बिहार में मॉडल पौधशाला

गोरुल में भा.वा.अ.शि.प. प्रदर्शन भू-खण्ड

गोरुल में पूर्व-रोपण किसान प्रशिक्षण

पेटेपुर में किसानों का प्रदर्शन भू-खण्ड